न्यायालय –सिविल जज व0प्र0, हाथरस
मूलवाद संख्या 168/2019
वासदेव बनाम श्रवण कुमार आदि

दिनांक– 14.01.2021

पत्रावली पेश हुई.। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब दावा हेतु नियत है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण को डबलू.एस. हेतु कंई बार अंतिम अवसर दिया जा चुका है किंतु प्रतिवादीगण की ओर से कोई डबलू.एस दाखिल नहीं किया गया। उभयपक्ष विगत कंई तिथियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहे हैं न ही उनकी ओर से कोई स्थगन या हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उभयपक्ष मुकदमा लड़ने के इच्छुक नहीं है। उभयपक्ष की अनुपस्थिति के कारण उक्त मूलवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

मूलवाद संख्या 168/2019 वासदेव बनाम श्रवण कुमार उभयपक्ष की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज व0प्र0,
हाथरस।